DIFFERENT ADMINISTRATION SYSTEMS IN JHARKHAND

मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था

मुंडाओं के अधीन गांव राजनीतिक इकाई थे।

मुंडाओं में आमतौर पर तीन स्तर की स्वशासी प्रणाली थी :

1. **ग्राम स्तर :** मुंडा गांव के मुखिया को मुंडा कहा जाता है। पारंपरिक निर्णय निकाय को हाटुडुनुब कहा जाता है।
2. **ग्राम स्तरीय समूह (क्लस्टर) :** निर्णय लेने वाली संस्था को सांगा परहा मौजा कहा जाता है और मुखिया को मनकी के नाम से जाना जाता है।
3. **सामुदायिक स्तर :** निर्णय लेने वाले निकाय को मुंडा संघ कहा जाता है और पद धारक को मुंडा डिसुम राजा के नाम से जाना जाता है।

मुंडा समुदाय में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक जन-केंद्रित या लोकतांत्रिक है जिसमें तीन वर्गों यानी कार्यपालिका (प्रशासन), विधायिका (संसद) और न्यायपालिका (न्यायपालिका) शामिल हैं जो गांव के स्तर से सामुदायिक स्तर तक मौजूद हैं। आदिवासी गांव/हाटू को छोटा गणतंत्र कहा जाता है।

मुंडाओं के पारंपरिक निर्णय लेने वाले निकाय वंशानुगत प्रकृति के होते हैं। गांवों के परिसंघ में दस-बारह गांव शामिल थे। इसे पट्टी कहा जाता था, जिसके प्रमुख को मनकी कहा जाता था।

उनके निम्न कर्तव्य थे :

1. भूमि और अन्य मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करना;
2. एक गांव के भीतर असाधारण आदिवासी हित के सवालों का निपटारा करना;
3. बड़ों की एक परिषद की मदद से विभिन्न गांवों के बीच शांति स्थापित करना;
4. चंदा या किराया इकट्ठा करना और राजा को सौंपना।

शासन की उपरोक्त व्यवस्था को सामूहिक रूप से मुंडा-मनकी पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में कुछ अन्य अधिकारी हैं :

डाकुआ (दूत), तहसीलदार, पाहन, ठाकुर, दीवान (वित्त), दरोगा, लाल (सहायक), पांडे (राजा के नियमों की व्याख्या), बरकंदाज आदि।

एक राष्ट्रीय कानून, पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों के स्वशासन के अधिकार के हक में है।

झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भारत की मुंडा अनुसूचित जनजाति का दबदबा है। मुंडा स्वयं को 'होरोको' कहते हैं, आम तौर पर उन्हें 'कोल' के नाम से भी जाना जाता है। उनके जीवन में 'हाट' (बाजार) की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन कृषि मुख्य व्यवसाय है। मुंडाओं के युवा गृह को 'गटिओरा' के नाम से जाना जाता है, 'अखाड़ा' एक ऐसा स्थान है जहां पंचायत आयोजित की जाती है।

मुंडा समाज कुलों में बंटा हुआ है। मुंडा जनजाति (22,28,661) का निवास झारखंड क्षेत्र के छोटानागपुर पठार में है। वे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं। वे अपने कुल के बाहर शादी करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मुंडा तिब्बत से झारखंड आए थे। मुंडा जनजाति ने इस क्षेत्र के नाग वंश की नींव रखी थी।

झारखंड के मुंडा लोग भी पत्थलगड़ी की प्राचीन परंपरा का पालन करते हैं अर्थात पत्थर निर्माण जिसमें गांव में रहने वाले आदिवासी समुदाय समाधि के सिरहाने या गांव के प्रवेश द्वार पर एक बड़े उल्टे यू आकार के कपड़े पहने हेडस्टोन को दफन करते हैं जिस पर मृत व्यक्तियों का वंश वृक्ष अंकित होता है। रीता या रिसा मुंडा के पहले आदिवासी नेता थे। उन्होंने सुतियापहान को मुंडाओं का शासक चुना, जिन्होंने 'सुतियानाग खंड' के क्षेत्र का नाम बदल दिया। सुतिया ने अपने राज्य को 7 गढ़ों और 21 परगना में बांट दिया था।

ये 7 गढ़ थे लोहागढ़ (लोहरदगा), हजारीगढ़ (हजारीबाग), पलुंगध (पलामू) मानगढ़ (मानभूम), केशलगढ़ और सुरगुजगढ़ (सरगुजा)।

इसके अलावा उन्होंने इन गढ़ो को 21 परगना में बांटा :

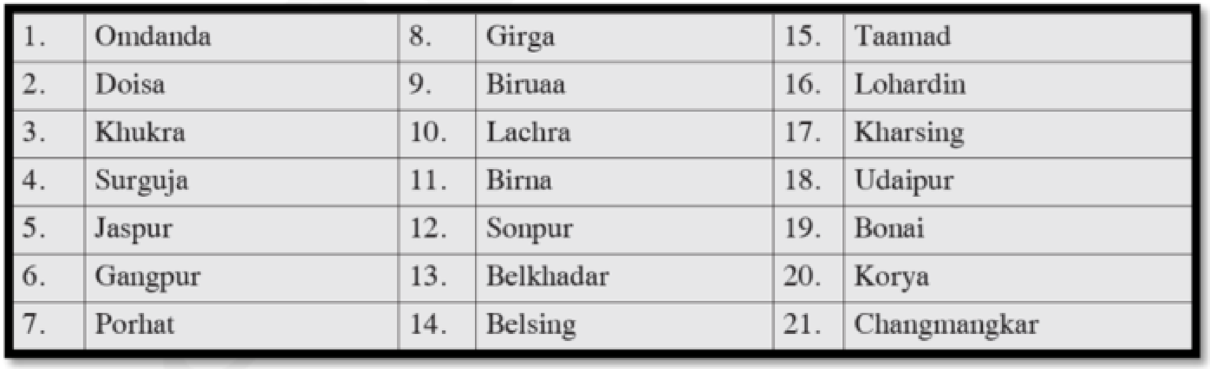

1.	Omdanda	8.	Girga	15.	Taamad
2.	Doisa	9.	Biruaa	16.	Lohardin
3.	Khukra	10.	Lachra	17.	Kharsing
4.	Surguja	11.	Birna	18.	Udaipur
5.	Jaspur	12.	Sonpur	19.	Bonai
6.	Gangpur	13.	Belkhadar	20.	Korya
7.	Porhat	14.	Belsing	21.	Changmangkar

सुतयापाहन द्वारा गठित राज्य पूरे झारखंड में फैला हुआ था। हालांकि, वह इस राज्य को लंबे समय तक एकजुट नहीं रख सका। पहला, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण और फिर इस क्षेत्र में बाहरी लोगों की आमद के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए राजवंश उभरने लगे, जिसमें नागवंश प्रमुख थे।

मुंडा मनकी प्रशासनिक प्रणाली (हो जनजाति)

पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम और सेराइकेला-खरसावां के क्षेत्रों में वे प्रोटो-ऑस्ट्रलाइड समूह से संबंधित हैं और कोल या लार्माकोल कहे जाते हैं।

वे सरना या सरनावाद नामक अपनी स्वदेशी धार्मिक पद्धति का पालन करते हैं। उनका धर्म संथालों, उरांवों, मुंडों और अन्य आदिवासी लोगों से काफी हद तक मिलता-जुलता है। अंतरजातीय और जनजाति-जाति विवाह की अनुमति नहीं है। इसे सामाजिक अपराध माना जाता है। हो के बीच कई प्रकार की शादी होती है, जैसे आनंदी, दीकू आनंदी, अपोर्टिपी, राजीखुशी और अनाडी।

सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नदी और पर्वत हो के प्रमुख बोंगा हैं। सिंगबोंगा हो के प्रधान बोंगा हैं।

उनके महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार माघे, बाहा परबा, राजसाला या राजा परबा, हीरो परबा, जमनवापरबा और काकवंतरी और कलाम परबा, सोहराई आदि हैं।

उनका समूह (क्लस्टर) क्षेत्र कोल्हान है। हो गांव में पंचायत होती है, जो गांव के विवादों को सुलझाती है। ग्राम पंचायत के समक्ष गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। पारिवारिक विवाद, गांव में विवाद, संपत्ति के मामले भी पंचायत ही निपटाती हैं।

गांव का मुखिया मुंडा होता है और उसके सहायक को डाकुआ कहा जाता है।

कई गांवों में एक अंतरराज्यीय पंचायत शामिल है, जिसे पीड़ कहा जाता है, जिसका अध्यक्षता 'मनकी' करता है। ग्राम पंचायत में सभी परिवारों के मुखिया निर्णय लेने में शामिल होते हैं। सभी गांवों के मुंडा अंतरराज्यीय पंचायत में भाग लेते हैं।

वर्तमान समय में सरकारी पंचायतों का अस्तित्व भी हो क्षेत्र में देखने को मिलता है। मुगल शासन के पतन के बाद अंग्रेजों ने बंगाल जिले में इन क्षेत्रों की घोषणा कर दी। सिंहभूम वर्तमान झारखंड राज्य में लोहरदगा से लगातार संचालित होता रहा, लेकिन सिंहभूम से कर की वसूली नहीं कर सका।

1830-32 में कर वसूली के विरोध में कोल विद्रोह हुआ तो कंपनी और आदिवासियों के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1837 ईस्वी में विल्किन्सन कानून लागू हुआ।

1837 में कैप्टन थॉमस विल्किन्सन ने राज्यपाल को कोल्हान के सभी मुंडा (ग्राम प्रधान) का एजेंट और उनके गांवों का राजा घोषित किया और कहा गया कि सभी मनकी और मुंडा पहले की तरह वंशानुगत होंगे।

अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र को अपने अधीन करने के बाद यह घोषणा की गई थी कि मुंडा लोग अपने गांव से एक रुपये का वसूलेंगे और उनमें से बारह आना को कर के रूप में जमा करेंगे। मनकी अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों से वसूला गया कर सरकारी खजाने में जमा कराएगा। विल्किंसन कानून में छोटे आपराधिक मामलों को भी शामिल किया गया था। विल्किंसन कानून के जरिए अंग्रेजों ने उनके साथ संधि की और उनकी स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दी गई। "हो" ने अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया। आज भी यह क्षेत्र आदिवासी स्वशासन की जीवंत मिशाल है।

नागवंशी प्रशासनिक व्यवस्था नाग राजवंश

छोटानागपुर क्षेत्र में नागवंशी झारखंड के महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। इस राजवंश की राजधानी फानीमुकुट राय द्वारा स्थापित खुकरा थी।

उन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे (रांची जिला) में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें पुरी (ओडिशा) के ब्राह्मणों ने शुद्धिकरण कार्य किया। फणीमुकुट राय पहले नागवंशी शासक थे, जिन्होंने बंता, हरजन, बादाम, रामगढ़, गोला, टोपी, पलानी, मनकेरी, बरूता और क्योंझर पर शासन किया था। चौथे नागवंशी शासक राजा प्रताप राय ने राजधानी को सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया सुबर्णरेखा के किनारे कर दिया।

नागवंशी शासकों की राजधानियों का क्रम सुतियाम्बे, चुटिया, कोखरा, डोसा, पालाकोट और रातूगढ़ था।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हैहयावंशी रक्सेलों ने अपना शासन स्थापित किया। रक्सेलों ने 12000 घुड़सवार सैनिकों के साथ नागवंशी शासक भीमकर्णा पर आक्रमण किया, लेकिन भीमकर्णा ने "बारना की लड़ाई" में रक्सेल को पराजित किया और बैरवा तथा टोरी (लातेहार) तक अपना शासन स्थापित किया।

फनीमुकुट राय ने परहा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और न ही कोई बदलाव किया, बल्कि इसका विस्तार करने की कोशिश की। नागवंशियों के दौर में भी पिछली कर प्रणाली, भूमि व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलती रही।

पहली सदी से लेकर 16वीं सदी तक इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इस परंपरा में पहला प्रभावी हस्तक्षेप मुगल आक्रमण काल अर्थात 1585 ईस्वी से शुरू हुआ।

मुगल सेना ने यहां के राजाओं पर नजर रखनी शुरू की और बाद में धीरे-धीरे इसने एक नियमित रूप धारण कर लिया, जिसे 'मालगुजारी' के नाम से जाना जाने लगा। नागवंशी काल में कर या माल एकत्र करने का चलन आम रैयतों से नहीं था। इसलिए नागवंशी राजाओं के लिए मुगल शासकों को पूरे राज्य का सामान देना मुश्किल था।

छोटानागपुर खास के महाराजा दुर्जनशाल को 1616 ईस्वी में कैद किया गया था और उन्हें जहांगीर ने 12 साल तक ग्वालियर के किले में रखा था। दुर्जनशाल को सालाना छह हजार रुपये कर देने की सहमति के आधार पर कैद से मुक्त किया गया था।

नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया। लेकिन इसकी प्रजा पर कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। जिसके कारण नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था बदल दी और लोगों से करों की वसूली शुरू कर दी। जागीरदार टैक्स जमा करते थे, लेकिन नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह तभी दिया गया जब एक मुगल बादशाह ने इसकी मांग की। इस अनियमित कर प्रणाली को 'नजराना' या 'पेशकश' कहा जाता था। अंग्रेजों का आगमन 1765 में मुगलों को दिवानी मिलने के बाद आया था। उनके आते ही इन लोगों ने फोर्ट विलियम के अधीन क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था के तहत रखा।

जब 1773 ईस्वी तक इस क्षेत्र से कोई नियमित कर प्राप्त नहीं हुआ तो तत्कालीन एस.जी. हिट्टले को छोटानागपुर खास के लिए पहला सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, लेकिन यह भी कर वसूली में सफल नहीं रहा। 1793 ईस्वी में कर की नियमित वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा-

महाराजाओं को जमींदार बनाया गया। जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में बदल गई। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस व्यवस्था के साथ ही प्राचीन काल से अस्तित्व में आए मुंडाओं और नागवंश का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश राज व्यवस्था लागू हो गई। राजा या महाराजा अंग्रेजों के लिए कर वसूलने का माध्यम बने रहे, जिसके बाद अंग्रेजों की कानून व्यवस्था शुरू हुई

परहा पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था

परहा का गठन कई समूहों (क्लस्टरों) को मिलाकर किया गया था, जिसके प्रमुख को 'परहा राजा' कहा जाता था। परहा की पंचायत को परहा पंचायत कहा जाता था।

इस पंचायत में पांच अधिशासी अधिकारी थे, जो राजा के अधीन काम करते थे। ये अधिकारी दीवान, ठाकुर, पांडे, करता और लाल थे। ये सभी पद वंशानुगत थे। परहा राजा को चुनाव से मनोनीत किया जाता था।

मनकी और परहा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता था। इसी आधार पर इसे सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता है न कि राज व्यवस्था। इसे मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता था।

परहा प्रधान को मनकी कहा जाता है। परहा पंचायत के पदाधिकारी परहा राजा, दीवान, ठाकुर, पांडेय, करता और लाल उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। उरांव झारखंड में एक महत्वपूर्ण और बड़ी आबादी वाली जनजाति हैं।

उरांव ने जंगलों को साफ कर उन्हें कृषि योग्य भूमि बना दिया। उसमें झोपड़ियां बना दी। इन पहले वन साफ करने वालों को 'भुइनहर' कहा जाता था, जिन्होंने खेत बनाए। बाद में उरांव जेथा को रियासत कहा गया। उनकी भूमि को भुइनहर भूमि कहा जाता था। कुछ ने अपने द्वारा बसे गांवों को 'भुइनहर' गांव कहा। उन्हें 'पाहन' कहा जाता था और जिस परिवार से वह ताल्लुक रखते थे, उसे 'पाहनखुंट' कहा जाता था।

पाहन लगातार प्रशासनिक और धार्मिक दोनों तरह के काम करते रहे। बाद में उनकी सहायता के लिए एक दूसरे प्रमुख का चयन किया गया। उन्हें महतो कहा जाता था।

गांव में बढ़ती आबादी से विवादों को सुलझाने के लिए पंचायत का गठन किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ सदस्य पंच और महतो इसके अध्यक्ष होते थे।

परहा, जैसा कि आज मौजूद है, आसपास के कई पड़ोसी गांवों का एक संघ समुदाय है, जिसका केंद्रीय संगठन 'परिहापंच' है।

7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर पाधा बनते हैं। जिसके मुखिया को 'राजा' कहा जाता है। पाधा के एक गांव को राजा गांव, दसरे गांव को 'दीवान गांव' और तीसरा 'पनेरे गांव जिसे चौथ गांव कहा जाता है' कहलाता है। कोटवार गांव और शेष गांव 'प्रजा गांव' हैं। हर गांव का अपना विशेष समारोह होता है।

दसरा (महतो) गांव चलाता है। उनके पास कोई कराधान, लेवी या कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। सभी अधिकार पंचायतों और पंचों में समाहित हैं, जिनकी स्वीकृति और सहमति से ही इसके बारे में कुछ किया जा सकता है। गांव के वरिष्ठ सदस्य (पंच) अखाड़े या अन्य निर्धारित स्थान पर एकत्रित होते हैं। गोडैत शिकायतकर्ता और वादी दोनों पक्षों को बुलाता है। दोनों तरफ से गवाहों की सुनवाई होती है। शपथ ग्रहण और कड़ी जांच की प्रथा भी है। पंचों का फैसला आम सहमति से होता है। यह कल्याण के लिए भी काम करता है। मानव-अमानवीय, प्राकृतिक और अलौकिक खतरों, आपदाओं से सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन जैसे पोटैड डांस, सामूहिक शिकार आदि, पादाह के मुख्य कार्य हैं। विशेष परिस्थिति में कोई गांव एक प्रचलन छोड़कर दूसरे में शामिल हो सकता है, लेकिन पुराने पाधा के साथ कोई संबंध नहीं तोड़ा जाता है। इसे 'दूध-भैया' गांव कहा जाता है। ऐसे दूध भैया गांवों को शामिल करने से पाधा से बड़ा संगठन या संघ बन जाता है, जिसे 'अंतरपधा' कहा जाता है। अब उरांव गांवों में सरकारी पंचायत बन गई है।